

क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा/बिलासपुर वृत्त/2021/- 50 दिनांक: 01/03/2021

प्रेषक:

अनुभाग अधिकारी
हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
अंकेक्षण वृत्त बिलासपुर

प्रेषित:

प्रधानाचार्य,
राजकीय महाविद्यालय जुखाला,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश - 174033

विषय:

अवधि 04/2014 से 03/2020 तक के छात्र निधि लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय के छात्र निधि लेखाओं के अवधि 04/2014 से 03/2020 तक छः वर्षों के लिये निम्न तालिका में वर्णित छात्र निधियों की वर्षवार आय के आधार पर अंकेक्षण शुल्क मु. रु48,000/- (अठतालीस हजार मात्र) बनता है। अतः आप शीघ्रातिशीघ्र शुल्क की इस राशि को रेखांकित मल्टीसिटी चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, बलॉक 38, एस.डी.ए. कम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009 को भिजवाने का प्रयत्न करें।

सत्र	कुल आय (रु)	अंकेक्षण शुल्क (रु)
2014-15	513923	8000.00
2015-16	801460	8000.00
2016-17	1031871	8000.00
2017-18	1151122	8000.00
2018-19	855303	8000.00
2019-20	1306053	8000.00
	कुल योग:	48,000.00

Cheque to be drawn in the name of:

The Director, Himachal Pradesh State Audit Department, Shimla-9

Cheque to be sent to:

The Director, Himachal Pradesh State Audit Department, Block 38, SDA Complex,
Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh - 171009

Received Cheque No 019851 Dated 5/3/2021
from Principal GDE Jukhals in A/c of
Audit fees for the year/Period 4/2014
to 3/2020

भवदीय

(दिनेश चन्द्र लखनपाल)

अनुभाग अधिकारी
हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-9, मोबाईल: 094184 91691

To Supdt to discuss with undersigned and u.a. please
संख्या:ई0डी0एन0-एच(5)सीच(15)1/66 लेखा परीक्षा
उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार
दिनांक: 18/7/2022
सेवा में.

No-12

may = 13
14 = 8

36

शिमला-171001 जुलाई, 2022

शिक्षा निदेशालय उच्चतर शिक्षा
15 JUL 2022

Govt
Dr. No. 1843
Dated 18/7/22
Distt. Bilaspur

प्रधानाचार्य

1. राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी, जिला-कांगडा हि0प्र0
2. राजकीय महाविद्यालय देहरी, जिला-कांगडा हि0प्र0
3. राजकीय महाविद्यालय चम्बा, जिला-चम्बा हि0प्र0
4. राजकीय महाविद्यालय तीसा, जिला-चम्बा हि0प्र0
5. राजकीय महाविद्यालय जुखाला, जिला-बिलासपुर हि0प्र0
6. राजकीय महाविद्यालय बड़सर, जिला-हमीरपुर हि0प्र0
7. राजकीय महाविद्यालय कुल्लू, जिला-कुल्लू हि0प्र0
8. राजकीय महाविद्यालय चायल कोटी, जिला-शिमला हि0प्र0
9. राजकीय महाविद्यालय ऊना, जिला-ऊना हि0प्र0

विषय:-

अवधि 04/2021 से 03/2022 के दौरान जारी किए गए राजकीय महाविद्यालयों के छात्र निधि लेखों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का संकलित समीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला के पत्र संख्या 1-562/2013-फिन(एल0ए0)खण्ड-2 (पार्ट) 4172 दिनांक 24-06-2022, के सन्दर्भ में आपके कार्यालयों के लेखों का अवधि 04/2021 से 03/2022 तक के दौरान जारी किए अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर गम्भीर अनियमितताओं के संबध मे इस निदेशालय को प्रेषित किये गये है।

इस विषय में आपको निर्देश दिये जाते है कि आप अपने कार्यालय से संबधित उक्त संकलित समीक्षा प्रतिवेदन मे दर्शाई गई गम्भीर अनियमितताओं पर छात्र निधि लेखों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिये तथा वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिये सुझाव /सिफारशों के सुझावानुसार, जो कि तुरन्त प्रभाव से आपके कार्यालय को इसकी अनुपालना करने के लिये प्रेषित किया जा रहा है। ताकि भविष्य में अंकेक्षण आपतियों पर शत-प्रतिशत निपटारा किया जा सकें।

संलग्न:यथोपरि

Man
संयुक्त नियन्त्रक (वि0 एवं ले0).
शिक्षा निदेशालय(उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश।

हिमाचल प्रदेश। ठाकंन संख्या: सम दिनांक शिमला- जुलाई, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009
2. रक्षक नस्ति।

हस्ता/-
(संयुक्त नियन्त्रक (वि0 एवं ले0).
शिक्षा निदेशालय(उच्चतर).
हिमाचल प्रदेश।

भारत सरकार

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग प्रधान
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003



लेखापरीक्षा विभाग
Dedicated to Public Service

Government of India
Indian Audit and Accounts Department
Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh, Shimla-171003

क्रमांक: ए0एम0जी0-1 / शिक्षा विभाग/पत्राचार/2022-23 / 194

दिनांक: 28.09.2023

प्रधानाचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, जुखाला,
जिला बिलासपुर, हि0प्र0। 174001

Govt. College, Jukhala
Dy. No. 267
Dated 18/9/2023

विषय:-

लेखापरीक्षा निरीक्षण टिप्पणी अवधि 12/2016 से 11/2022 के सटिप्पण उत्तर बारे।

उपर्युक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र संख्या:-ई0डी0एन-जी0डी0सी0-जुखाला) लेखापरीक्षा.37/2023-2461-62 दिनांक 18 मार्च, 2023 के संदर्भ में राजकीय महाविद्यालय, जुखाला, जिला बिलासपुर, की निरीक्षण अवधि 12/2016 से 11/2022 की लेखापरीक्षा एवं टिप्पणी के पैरों पर लेखापरीक्षा अभियुक्तियां निम्न से है:-

अवधि	पैरा सं0	पैरे का विषय	अभियुक्तियां
12/16 से 11/22	1	Reference No: OBS-571918 Para-1 Continuation of Services of faculty not fulfilling the eligibility criteria for Assistant Professor resulted in irregular payment of salary amounting to Rs. 19.68 lakh.	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संख्या: CWP(OA)NO 2019/3/95 दिनांक 04.11.22 के अनुसार सहायक प्रोफेसर के लिये आवश्यक पात्रता मानदण्डों की शर्तों को हटा दिया गया है। उक्त कार्यवाही के मध्यनजर पैरे को समायोजित किया जाता है।
	2	Reference No: OBS-571919 Para-2 Irregular Placement of Assistant Professors under Career Advancement Scheme to next stage without fulfilling the requisite criteria for the same	पत्र संख्या. EDN-A (Kha)7-13/2003 Dt.01/10/2004 and EDN-H(8)B(7) 34-2-2005/ Dt.03/2/2006 की प्रतियां सलमन नहीं हैं। सम्बन्धित प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें। अतः पैरा असमयोजित रहा।
	3	Reference No: OBS-571940 Para-3 Irregular expenditure made on purchase of goods without calling the tender/quotation for Rs 4.37 lakh and Splitting up of purchases to avoid the purchase on quotation Basis Rs, 0.12 lakh.	निविदाओं तथा तुलनात्मक विवरणी के प्रस्तुती के आधार पर पैरे को समायोजित किया जाता है।
	4	Reference No: OBS-571938 Para-4 Non-accountal of computer stationery items purchased in the stock register of Rs.0,26 lakh	इस पैरे में कम्प्यूटर स्टेशनरी मदों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां कर दी गई हैं। अतः पैरे को समायोजित किया जाता है।
	5	Reference No: OBS-571916 Para-5 Non-allotment of accommodation earmarked for Principal resulted in irregular payment of HRA and non-deduction of license fees amounting to Rs, 0,08 lakh.	प्रेषित चालान सं0 B23C101080 dated 01-03-2023 के आधार पर पैरे को समायोजित किया जाता है।
	6	Reference No: OBS-572005 Para-5 Excess payment of salary Rs. 0.008 lakh.	प्रेषित चालान सं0 B23C101062 dated 01-03-2023 के आधार पर पैरे को समायोजित किया जाता है।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(ए0एम0जी0-1)

भारत सरकार
 भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग प्रधान
 महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
 हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003



Government of India
 Indian Audit and Accounts Department
 Principal Accountant General (Audit)
 Himachal Pradesh, Shimla-171003

क्रमांक: ए0एम0जी0-1 / शिक्षा विभाग/पत्राचार/2022-23 / 124

दिनांक: 28.07.2023

प्रधानाचार्य,
 राजकीय महाविद्यालय, जुखाला,
 जिला बिलासपुर, हि0प्र0। 174001

Govt. College Jullaha
 Dy. No. 267
 Dated - 10/5/2023

विषय:- लेखापरीक्षा निरीक्षण टिप्पणी अवधि 12/2016 से 11/2022 के सटिप्पण उत्तर बारे।

उपर्युक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र संख्या:-ई0डी0एन-जी0डी0सी0-जुखाला) लेखापरीक्षा.37)/2023-2461-62 दिनांक 18 मार्च, 2023 के संदर्भ में राजकीय महाविद्यालय, जुखाला, जिला बिलासपुर, की निरीक्षण अवधि 12/2016 से 11/2022 की लेखापरीक्षा एवं टिप्पणी के पैरों पर लेखापरीक्षा अभियुक्तियों निम्न से है:-

अवधि	पैरा सं०	पैरे का विषय	अभियुक्तियाँ
12/16 से 11/22	1	Reference No: OBS-571918 Para-1 Continuation of Services of faculty not fulfilling the eligibility criteria for Assistant Professor resulted in irregular payment of salary amounting to Rs. 19.68 lakh.	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संख्या: CWP(OA)NO 2019/3/95 दिनांक 04.11.22 के अनुसार सहायक प्रोफेसर के लिये आवश्यक पात्रता मानदण्डों की शर्तों को हटा दिया गया है। उक्त कार्यवाही के मध्यनजर पैरे को समायोजित किया जाता है।
	2	Reference No: OBS-571919 Para-2 Irregular Placement of Assistant Professors under Career Advancement Scheme to next stage without fulfilling the requisite criteria for the same	पत्र संख्या. EDN-A_(Kha)7-13/2003 Dt.01/10/2004 and EDN-H(8)B(7) 34-2-2005/ Dt.03/2/2006 की प्रतियाँ सलग्न नहीं हैं। सम्बन्धित प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें। अतः पैरा असमयोजित रहा।
	3	Reference No: OBS-571940 Para-3 Irregular expenditure made on purchase of goods without calling the tender/quotation for Rs 4.37 lakh and Splitting up of purchases to avoid the purchase on quotation Basis Rs, 0.12 lakh.	निविदाओं तथा तुलनात्मक विवरणी के प्रस्तुती के आधार पर पैरे को समायोजित किया जाता है।
	4	Reference No: OBS-571938 Para-4 Non-accountal of computer stationery items purchased in the stock register of Rs.0,26 lakh	इस पैरे में कम्प्यूटर स्टेशनरी मदों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ कर दी गई हैं। अतः पैरे को समायोजित किया जाता है।
	5	Reference No: OBS-571916 Para-5 Non-allotment of accommodation earmarked for Principal resulted in irregular payment of HRA and non-deduction of license fees amounting to Rs, 0,08 lakh.	प्रेषित चालान सं० B23C101080 dated 01-03-2023 के आधार पर पैरे को समायोजित किया जाता है।
	6	Reference No: OBS-572005 Para-5 Excess payment of salary Rs. 0.008 lakh.	प्रेषित चालान सं० B23C101062 dated 01-03-2023 के आधार पर पैरे का समायोजित किया जाता है।

भवदीय,

 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
 (ए0एम0जी0-1)